



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 619]

नई दिल्ली, बुधवार, अक्टूबर 7, 2015/आश्विन 15, 1937

No. 619]

NEW DELHI, WEDNESDAY, OCTOBER 7, 2015/ASVINA 15, 1937

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अक्टूबर, 2015

सा.का.नि. 765(अ).—संविधान के अनुच्छेद 297 जिसे कार्यसंचालन नियमावली के साथ पढ़ा जाए, के तहत प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए और मंत्रिमंडल के दिनांक 9 सितंबर, 2015 के अनुमोदन से नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय एतद्वारा राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति को अधिसूचित करती है जो इस नीति के राजकीय गजट में प्रकाशित होने की तारीख से लागू होगी।

राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति

1. भूमिका

संपूर्ण विश्व में पवन ऊर्जा को विद्युत की बढ़ रही मांगों को धारणीय प्रणाली में पूरा करने की एक सर्वाधिक विकसित, किफायती, और प्रामाणिक अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों में से एक माना जाता है। एक और जहां तटीय (ऑनशोर) पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकियां पूरे विश्व में बड़े पैमाने पर संस्थापित की जा रही हैं, और सहायक नीतिगत व्यवस्थाओं से जीवाश्म ईंधन पर आधारित विद्युत उत्पादन के साथ प्रतिस्पर्धा करने की स्थिति में हैं वहीं अपतटीय पवन ऊर्जा का समुपयोग अभी भी तुलनात्मक स्तर पर नहीं पहुंच पाया है। पवन ऊर्जा की 24 गीगावाट से अधिक क्षमता की संस्थापना और विद्युत उत्पादन के साथ ही भारत को तटीय (ऑनशोर) पवन ऊर्जा विकास में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई है। इस नीति की शुरुआत करके सरकार द्वारा तटीय पवन विद्युत विकास की सफलता को अपतटीय पवन विद्युत विकास के क्षेत्र में दोहराने का प्रयास किया जा रहा है।

1.1 वैश्विक स्थिति

विश्व भर में 8.7 गीगावाट से अधिक की अपतटीय पवन ऊर्जा क्षमता पहले ही संस्थापित की जा चुकी है और लगभग इतनी ही क्षमता निर्माणाधीन है। युनाइटेड किंगडम (4494 मेगावाट), डेनमार्क (1271 मेगावाट), जर्मनी

(1049 मेगावाट), बेल्जियम (712 मेगावाट), चीन (670 मेगावाट), नीदरलैंड्स (247 मेगावाट) और स्वीडन (212 मेगावाट) में अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म विद्यमान हैं और विकसित किए जा रहे हैं।

1.2 भारत में विकास

भारत में तटरेखा के आसपास किए गए प्रारंभिक आकलनों से अपतटीय पवन विद्युत के विकास की संभावनाएं मौजूद होने के संकेत मिले हैं। तमिलनाडु में रामेश्वरम् और कन्याकुमारी की तटरेखा तथा गुजरात तट के लिए एकत्रित पवन संसाधन आंकड़ों से पर्याप्त संभाव्यता का पता चला है। एक प्रारंभिक अनुमान में यह संकेत मिलता है कि तमिलनाडु में रामेश्वरम् और कन्याकुमारी की तटरेखा के आसपास लगभग एक-एक गीगावाट क्षमता के पवन ऊर्जा फार्म स्थापित करने की संभाव्यता विद्यमान है।

1.3 समुद्री क्षेत्र

ऐसे दो प्रमुख समुद्री क्षेत्र उपलब्ध हैं जहां अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म जैसी संरचनाओं की स्थापना की जा सकती है।

- भारतीय प्रादेशिक जल क्षेत्र, जो सामान्यतः तल रेखा से 12 नॉटिकल मील (एनएम) तक फैला है; और
- 12 एनएम की सीमा से 200 एनएम (ईईजेड) तक जहां अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत भारत को पवन फार्म जैसी संरचनाएं स्थापित करने का अधिकार है।

1.4 चुनौतियां

अपतटीय पवन विद्युत की संस्थापना से जुड़ी कुछ प्रमुख चुनौतियां संसाधन विनिर्धारण, उप-समुद्री केबलिंग, टर्बाइन निर्माण, संभार तंत्र सहित टर्बाइनों की संस्थापना, ग्रिड इंटरकनेक्शन और प्रचालन, पारेषण अवसंरचना का विकास और निर्माण तथा प्रचालन की अवधि के दौरान तट की सुरक्षा से संबंधित हैं। विद्युत प्रणाली में बड़ी क्षमताओं की अपतटीय पवन उत्पादन क्षमता जोड़े जाने के लिए भी इसे राष्ट्रीय ग्रिड के साथ विश्वसनीय रूप से एकीकृत करना आवश्यक होगा।

2. सरकार का दृष्टिकोण

ऊर्जा के अक्षय स्रोतों से विद्युत का उत्पादन करना वर्ष 2008 में घोषित सरकार की जलवायु परिवर्तन संबंधी राष्ट्रीय कार्य योजना (एनएपीसीसी) का एक प्रमुख घटक है। इस योजना की शुरुआत से भारत सरकार भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा का दोहन करने के लिए एक अनुकूल माहौल उपलब्ध कराने हेतु प्रतिबद्ध है। अपने अधिदेश और दायित्व के अनुवर्तन में सरकार द्वारा मौजूदा बाधाओं को दूर करने तथा देश के भीतर प्रौद्योगिकी एवं कार्यान्वयन से जुड़ी क्षमताओं का निर्माण करने के लिए देश में क्रमबद्ध प्रणाली में अपतटीय पवन ऊर्जा का विकास करने की परिकल्पना की गई है।

3. शीर्षक और प्रवर्तन

यह नीति 'राष्ट्रीय अपतटीय पवन ऊर्जा नीति-2015' के नाम से जानी जाएगी। यह नीति भारत सरकार द्वारा पूर्ण अथवा आंशिक रूप से वापस लिए जाने अथवा आस्थगित किए जाने तक समग्र रूप से लागू रहेगी। भारत सरकार द्वारा किसी प्रकार के प्रौद्योगिकीय परिवर्तन अथवा संबंधित नीति अथवा लक्ष्यों में किसी प्रकार के बदलाव होने पर इस नीति की जब और जिस प्रकार आवश्यक हो समीक्षा की जाएगी।

4. उद्देश्य

भारत सरकार ने अपने हित में अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म विकसित करने के लिए यह निर्णय लिया है कि एक ऐसी नीति उपलब्ध होनी चाहिए जो राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में अपतटीय पवन ऊर्जा के ईष्टतम दोहन को समर्थ बना सके और निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त कर सके।

- देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड), जिसमें सार्वजनिक-निजी भागीदारी के अंतर्गत शामिल क्षेत्र शामिल हैं, में अपतटीय पवन ऊर्जा फार्मों की खोज और संस्थापना को बढ़ावा देना।
- ऊर्जा अवसंरचना में निवेश को बढ़ावा देना।
- देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में समुद्री अक्षय ऊर्जा संसाधनों के स्थानिक (स्पेशियल) नियोजन और प्रबंधन को समुचित प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रोत्साहित करना।
- ऊर्जा सुरक्षा प्राप्त करना।

- कार्बन उत्सर्जन में कमी लाना।
- अपतटीय पवन ऊर्जा प्रौद्योगिकी के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देना।
- अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देना।
- अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में दक्ष मानवशक्ति और रोजगार के अवसरों का सृजन करना।
- अपतटीय पवन ऊर्जा से संबंधित परियोजना ईपीसी के विकास तथा प्रचालन और अनुरक्षण का आसान बनाना।
- भारी निर्माण एवं संरचना कार्यों तथा प्रचालन और अनुरक्षण संबंधी कार्यकलापों को सहायता प्रदान करने के लिए तटवर्ती अवसंरचना और आपूर्ति श्रृंखला का विकास करना।

5. भौगोलिक कवरेज और क्षेत्र

यह नीतिगत दस्तावेज़ अपतटीय पवन ऊर्जा विकास के लिए प्रारंभिक नीतिगत निर्णय लेने संबंध प्रलेख है जिसमें पानी के अंदर, आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील की समुद्री दूरी (देश का ईईजेड) तक देश में अथवा देश के समीपवर्ती जल क्षेत्र में अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं तथा अनुसंधान और विकास कार्यकलापों की स्थापना करना शामिल है। अनुसंधान और विकास कार्यकलाप भी तल रेखा से 200 नॉटिकल मील की दूरी तक संचालित किए जाएंगे।

6. अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के अनिवार्य तत्त्व

अपतटीय पवन फार्म के विकास संबंधी नीति के अनिवार्य घटकों में निम्नलिखित शामिल होंगे-

- प्रारंभिक संसाधन मूल्यांकन तथा ब्लॉकों के परिसीमन के लिए आरंभिक महासागरीय तथा बैथीमीट्रिक अध्ययन।
- प्रस्तावित अपतटीय पवन फार्मों का जलीय जीवन, मात्स्यिकी आदि के संबंद में पर्यावरण प्रभाव आकलन अध्ययन (ईआईए), नौवहन से संबंधित अध्ययन, समुद्र के भीतर अंतत तथा संबंधित अन्वेषण/दोहन संबंधी कार्यकलाप तथा समुद्र के अन्य उपयोग।
- विस्तृत अध्ययन और सर्वेक्षण- इन अध्ययनों में विशेष निर्माण दोनों प्रकार की प्रचालन एवं अनुरक्षण संबंधी आवश्यकताओं के लिए विशेष जहाजों आदि की निर्माण लागत का निर्धारण किया जाएगा।
- समुद्र तल को लीज़ पर देने का प्रबंध।
- सांविधिक अनापत्तियां और अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- ग्रिड कनेक्टिविटी और विद्युत निष्क्रमण (अपतटीय और तटवर्ती दोनों)
- प्रौद्योगिकी।
- प्रोत्साहन।
- अपतटीय संस्थापनाओं की सुरक्षा और अध्ययनों एवं सर्वेक्षणों के दौरान एकत्रित आंकड़ों की गोपनीयता।
- वित्त पोषण और बीमा।

7. नीति

7.1 नोडल मंत्रालय

नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) भारत में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए नोडल मंत्रालय होगा और देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के अंतर्गत समुद्री स्थल के विकास और उपयोग के लिए विभिन्न सरकारी इकाइयों में से एक के रूप में कार्य करेगा। नोडल मंत्रालय के रूप में एमएनआरई की भूमिका में निम्नलिखित शामिल होंगे तथापि यह भूमिका केवल इन्हीं बिंदुओं तक सीमित नहीं होगी।

- (i) देश में अपतटीय पवन ऊर्जा विकास का समग्र अनुवीक्षण।
- (ii) अन्य मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय।
- (iii) अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए दिशानिर्देश/नीतिगत निर्देश जारी करना।

- (iv) कार्यो का पर्यवेक्षण करना तथा सुचारु कार्य संचालन के लिए नोडल एजेंसी अर्थात् राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना।
- (v) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का विकास, और।
- (vi) शुल्क-दर निर्धारण और विनियामक विषयों पर समन्वय।

7.2 राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई)- नोडल एजेंसी

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा। देश में अपतटीय पवन विद्युत के विकास के लिए एनआईडब्ल्यूई को निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए सुदृढ़ बनाया जाएगा।

- (i) अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धी बोली (आईसीबी) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट ब्लॉकों में अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं के विकास हेतु प्रस्तावों के लिए आमंत्रण।
- (ii) देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) के भीतर अपतटीय पवन विद्युत परियोजना के विकास हेतु परियोजना विकासकर्त्ताओं के साथ संविदा करना।
- (iii) विकासकर्त्ता/भूस्वामियों से निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार लीज़ प्राप्त करना
- (iv) देश के ईईजेड में संसाधन आकलन और सर्वेक्षण कार्यो का संचालन करने के साथ-साथ इनका समन्वयन करना।
- (v) अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों का परिसीमन।
- (vi) रक्षा मंत्रालय के दिशानिर्देशों का अनुपालन।
- (vii) परियोजना विकासकर्त्ताओं को संबंधित मंत्रालयों/विभागों से अनापत्तियां प्राप्त करने की प्रक्रिया को आसान बनाना।
- (viii) चल रही परियोजनाओं के तकनीकी कार्यकलापों का समन्वयन और अनुश्रवण (मानीटरिंग) करना।
- (ix) तकनीकी एवं वित्तीय मूल्यांकन और विकास की समीक्षा।
- (x) प्रौद्योगिकी विकास के लिए स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देना।
- (xi) अपतटीय पवन ऊर्जा डाटाबेस और संग्रह प्रणाली का निर्माण और अनुरक्षण।
- (xii) आकलन किए गए क्षेत्रों में सूचना डाटाबेस का उन्नयन करना।
- (xiii) अपतटीय पवन ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता निर्माण।

7.2.1 अनापत्तियों को प्राप्त करना आसान बनाना

एनआईडब्ल्यूई परियोजना विकासकर्त्ताओं से अनापत्ति/एनओसी के लिए आवेदन स्वीकार करेगा और इन अनापत्तियों/एनओसी के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय स्थापित करेगा। तथापि एनआईडब्ल्यूई केवल अनापत्ति/एनओसी प्राप्त करने में सरलीकारक के रूप में कार्य करेगा और आवेदन पत्र संपूर्ण रूप से संबंधित मंत्रालय/विभाग द्वारा निष्पादित किए जाएंगे।

7.2.2 प्रशासनिक प्रभाग तथा स्टाफिंग

एनआईडब्ल्यूई में पवन ऊर्जा/अपतटीय प्रचालनों में तकनीकी विशेषता रखने वाले कार्मिक उपलब्ध होंगे। विशेषज्ञों के ब्यौरे और उनकी योग्यताओं का निर्धारण एनआईडब्ल्यूई द्वारा कार्य की मात्रा के आधार पर किया जाएगा।

एनआईडब्ल्यूई द्वारा केंद्र सरकार के विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत ऊर्जा तथा विद्युत क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जा सकता है। अतिरिक्त कार्मिकों की आवश्यकता को अल्पकालिक संविदाओं पर नियुक्ति के माध्यम से पूरा किया जा सकता है।

7.3 अन्य कार्यान्वयन एवं अनुश्रवण एजेंसियां

7.3.1 अपतटीय पवन ऊर्जा संचालन समिति (ओडब्ल्यूईएससी)

सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता में अपतटीय पवन ऊर्जा संचालन समिति (ओडब्ल्यूईएससी) द्वारा नीतिगत मार्गदर्शन प्रदान कर देश में अपतटीय पवन ऊर्जा विकास का संचालन किया जाएगा और विशिष्ट अपतटीय पवन ऊर्जा कार्यक्रमों के निष्पादन और प्रभावी कार्यान्वयन का निरीक्षण किया जाएगा।

7.3.2 जहाजरानी मंत्रालय/राज्य समुद्र बोर्ड/राज्य सरकार

बड़े पत्तनों के मामले में जहाजरानी मंत्रालय तथा छोटे पत्तनों के मामले में राज्य सरकार अथवा राज्य समुद्र बोर्ड, जहां गठित किया गया हो, द्वारा पोर्ट में सुगम्यता उपलब्ध कराई जाएगी अथवा समुद्रतट पर जहां से इसे अपतट पर पवन फार्म के स्थल पर लाया जाएगा, भारी निर्माण/संविचन कार्य/ ओएंडएम कार्यक्रमों, के लिए पर्याप्त अवसंरचनात्मक सुविधाओं के साथ पत्तन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। संबंधित केंद्रीय अथवा राज्य सरकार की एजेंसियों को अपनी सेवाएं प्रदान करने के लिए एक विनिर्धारित शुल्क का भुगतान किया जाएगा।

7.3.3 केन्द्रीय एवं राज्य पारेषण यूटीलिटी

केन्द्रीय पारेषण यूटीलिटी (एसटीयू) तथा/अथवा राज्य पारेषण यूटीलिटी (एसटीयू) द्वारा तटवर्ती (ऑनशोर) निष्क्रमण एवं ग्रिड कनेक्टिविटी से संबंधित कार्य किए जाएंगे। सीटीयू/एसटीयू द्वारा निष्क्रमण अवसंरचना का परीक्षण और प्रमाणन भी किया जाएगा। संबंधित एसटीयू/राज्य सरकार अपतटीय पवन फार्मों से उत्पादित विद्युत का निष्क्रमण करने के लिए उप-केंद्रों की स्थापना के समर्थ बनाने के लिए तट पर पवन फार्म स्थल के नजदीक भूमि का आवंटन करने को बढ़ावा दे सकती हैं।

7.4 विकास मॉडल

7.4.1 अध्ययन और सर्वेक्षण

अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों के परिसीमन के लिए प्रारंभिक पवन संसाधन मूल्यांकन, महासागरीय एवं वैथीमीट्रिक सर्वेक्षण आदि एनआईडब्ल्यूई द्वारा किए जाएंगे। समुद्र तल एवं संसाधन आंकड़ों के एकत्रण के लिए सरकार के अधीन विशेषज्ञ एजेंसियों की सेवाओं का भी उपयोग किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त अपतटीय अध्ययन और सर्वेक्षण कार्यों में प्रमाणित विशेषज्ञता रखने वाले इच्छुक निजी संगठनों को भी मामला-प्रति-मामला आधार पर ब्यौरे एकत्र करने तथा इस पर साझा स्वामित्व रखने की अनुमति दी जा सकती है। इस आंकड़े को अन्य मंत्रालयों के साथ साझा किया जा सकता है। नीति को मंजूरी मिलने के पश्चात् एनआईडब्ल्यूई द्वारा विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए जाएंगे। तथापि राष्ट्रीय सुरक्षा के आधार पर बिना कोई विशिष्ट ब्यौरे दिए किसी इकाई को भागीदारी करने से मना करने का अधिकार राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान के पास सुरक्षित रहेगा।

अध्ययनों और सर्वेक्षणों की प्रक्रिया नौसैनिक प्रचालनों की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। अतः तेल एवं गैस की खोज एवं उत्पादन के लिए अपनाई जा रही डाटा एकत्रण नीति के समान ही निजी कंपनियों द्वारा रक्षा मंत्रालय से अनापत्ति प्राप्त करने के लिए प्रारूप और दिशानिर्देशों के अनुसार विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराना आवश्यक होगा। पवन विद्युत संस्थापनाओं के निर्माण/सहायक कार्यक्रमों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले सर्वेक्षण पात्रों के लिए नौसैनिक सुरक्षा अनापत्ति की प्रक्रिया भारत के तटवर्ती एवं समुद्री क्षेत्रों में संसाधनों के अनुसंधान, सर्वेक्षण खोज और दोहन के संबंध में भारत सरकार के प्रचलित विनियमों के अनुसार होगी।

सर्वेक्षक अथवा परियोजना विकासकर्ता, जैसा भी मामला हो, को विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र में कोई कार्यक्रम आरंभ करने से पहले रक्षा मंत्रालय से पूर्व-अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करनी होगी। ऐसी अनुमति/अनापत्ति एनआईडब्ल्यूई के माध्यम से दी जाएगी। एनआईडब्ल्यूई के पास सरकारी प्रयोजनों के लिए सर्वेक्षण आंकड़ों एवं मानचित्रों (जो कि सर्वेक्षक/विकासकर्ता की बौद्धिक संपदा होगी) का उपयोग करने के लिए रोयल्टी मुक्त लाइसेंस होगा।

सर्वेक्षक अथवा परियोजना विकासकर्ता द्वारा एनआईडब्ल्यूई को इस आशय की बचनबद्धता देनी होगी कि एनआईडब्ल्यूई द्वारा दी गई अनुमति के तहत (रक्षा मंत्रालय से आवश्यक अनापत्तियां प्राप्त करने के बाद) सर्वेक्षणों एवं अध्ययनों से एकत्रित किसी भी ब्यौरे/जानकारी को एनआईडब्ल्यूई से छिपाया अथवा दबाया नहीं जाएगा।

7.4.2 अनापत्तियों/अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए अनुरोध

समुद्र में कोई संस्थापना (सर्वेक्षण अथवा पवन टर्बाइन जेनरेटर) आरंभ करने से पहले अपेक्षित अनापत्तियां/अनापत्ति प्रमाण पत्र रक्षा मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय/राज्य समुद्र बोर्ड/राज्य सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय,

पर्यावरण और वन मंत्रालय तथा कुछ अन्य एजेंसियों से संबंधित हैं। संबंधित मंत्रालयों और विभागों, जिनसे अनापत्ति तथा अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित है, की सूची **अनुलग्नक-क** पर दी गई है।

अपतटीय क्षेत्र में अध्ययनों तथा सर्वेक्षणों अथवा निर्माण से संबंधित कार्य तब तक आरंभ नहीं किए जा सकते जब तक कि संबंधित मंत्रालयों/विभागों द्वारा “अनापत्ति” जहां आवश्यक हो, नहीं दे दी जाती। तथापि जिन मामलों में अनापत्ति प्रमाण पत्र अपेक्षित है, उनमें एक निर्धारित अवधि के समाप्त होने के बाद इसे प्रदान किया हुआ मान लिया जाएगा।

अनापत्तियों/अनापत्ति प्रमाण पत्रों के अलावा परियोजना विकासकर्ता द्वारा परियोजना से संबंधित योजना तैयार करते समय विकासस्थल और उसके आस-पास के मत्स्य-ग्रहण क्षेत्रों से दूर रहने के लिए सभी प्रयास किए जाएंगे। आत्यंतिक स्थितियों में, जब मत्स्य ग्रहण क्षेत्र/फिशिंग कॉलोनी का स्थान बदलना अपेक्षित हो, तो विकासकर्ता द्वारा प्रभावित लोगों को केंद्र/राज्य सरकार की संबंधित नीतियों के अधीन पर्याप्त मुआवज़ा दिया जाएगा।

7.4.3 समुद्र तल को लीज़ पर देना और ब्लॉकों का आवंटन

ब्लॉकों के लिए प्रस्ताव एक खुली अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली (आईसीबी) प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। बोलीकर्ता कोई कंपनी, कंसोर्टियम अथवा कोई संयुक्त उद्यम हो सकता है। एनआईडब्ल्यूई द्वारा सफल बोलीकर्ता अर्थात् अपतटीय पवन ऊर्जा विद्युत परियोजना के विकासकर्ता के साथ अनुबंध किया जाएगा और विकासकर्ता से सर्वेक्षण, निर्माण और प्रचालन के चरणों के दौरान लीज़ शुल्क एकत्र किया जाएगा। एनआईडब्ल्यूई के पास किसी कंपनी को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया (आईसीबी) में राष्ट्रीय सुरक्षा के कारणों से बिना कोई विशिष्ट विवरण दिए भाग लेने से मना करने का अधिकार सुरक्षित होगा।

यह लीज़ केवल आवंटित ब्लॉक(कों) में पवन ऊर्जा की खोज और समुपयोग तक सीमित होगी। संविदा के विस्तृत मानकों में पवन फार्म की संस्थापना और कमीशनिंग को पूरा करने की समय-सीमा, संविदा की अवधि, आवंटित ब्लॉक में परियोजना क्षमता के अनुसार प्रतिबद्ध न्यूनतम कार्य कार्यक्रम (एमडब्ल्यूपी), एमएनआरई/एनआईडब्ल्यूई द्वारा अनुश्रवण और निरक्षण तथा डीकमीशनिंग योजना शामिल होगी। यदि संविदाकार संविदा पर हस्ताक्षर करने की तारीख से एक निर्धारित समय अवधि तक पवन विद्युत का वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ करने में विफल रहता है तो लीज़ और क्षेत्र पर उसका दावा स्वतः समाप्त हो जाएगा।

अन्य उद्देश्यों जैसे तेल एवं गैस की खोज तथा दोहन, समुद्र तल का खनन आदि प्रयोजनों के लिए समुद्र तल के वर्तमान लीज़धारक जो अपनी वर्तमान लीज़ पर अपतटीय पवन फार्म की संस्थापना करने के इच्छुक हैं, द्वारा अपने प्रस्ताव एनआईडब्ल्यूई के माध्यम से भेजे जाएं।

7.4.4 विद्युत निष्क्रमण

किसी नामित एजेंसी अथवा वितरण यूटीलिटी अथवा किसी निजी कंपनी द्वारा अपतटीय पवन विद्युत परियोजना विकासकर्ताओं के साथ विद्युत खरीद समझौता (पीपीए) निष्पादित किया जाएगा और विद्युत अधिनियम-2003, समय-समय पर यथासंशोधित, के अनुसार किसी उपयुक्त आयोग द्वारा निर्धारित मानकों और दिशानिर्देशों के अनुसार अपतटीय पवन विद्युत की सीधे खरीद की जाएगी।

केंद्रीय पारेषण यूटीलिटी (सीटीयू)/राज्य पारेषण यूटीलिटी (एसटीयू) द्वारा अपतटीय पवन फार्मों से उत्पादित विद्युत के निष्क्रमण के लिए आवश्यक तटवर्ती अवसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। केंद्र सरकार अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए निष्क्रमण अवसंरचना का सृजन करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों को सहायता प्रदान कर सकती है।

अपतटीय पवन विद्युत विकास को बढ़ावा देने तथा इसे किफ़ायती बनाने के लिए अन्य स्रोतों से विद्युत को मिलाने (बंडलिंग) की योजनाओं तथा विकेंद्रित प्रापण की शुरुआत जब और जिस प्रकार आवश्यक हो, की जा सकती है।

7.4.5 अपतटीय पवन ऊर्जा फार्म को शुरु करने के लिए अंतिम अनुमोदन

पवन फार्म का प्रचालन आरंभ करने के लिए प्रमाण पत्र एनआईडब्ल्यूई द्वारा जारी किए जाएंगे। इससे पवन फार्म के आरंभ होने से पूर्व एनआईडब्ल्यूई द्वारा सभी सांविधिक एवं विनियामक दिशानिर्देशों का सत्यापन संभव होगा।

7.4.6 अपतटीय पवन फार्म की सुरक्षा

अपतटीय पवन ऊर्जा संस्थापनाओं की सुरक्षा का दायित्व विकासकर्ता/ऑपरेटर का होगा जिसके द्वारा प्रवणता संबंधी मूल्यांकन किया जाना चाहिए। विकासकर्ता द्वारा संस्थापनाओं के व्यापक बीमा कवरेज का प्रमाण उपलब्ध कराना भी अपेक्षित है। मुख्यालय, अपतटीय रक्षा परामर्शी दल (एचक्यूओडीएजी) देश के समुद्री क्षेत्रों में रक्षा से जुड़ी अपतटीय संस्थापनाओं से संबंधित मामलों के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करता है। एचक्यूओडीएजी द्वारा रक्षा मंत्रालय,

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय, जहाजरानी मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय को देश के जलीय प्रदेशों, महाद्वीपीय क्षेत्र, विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र तथा अन्य समुद्री क्षेत्रों को शामिल करते हुए अपतटीय सुरक्षा तथा रक्षा के सभी योजनागत और नीतिगत पहलुओं पर सलाह दी जाती है। एचक्यूओडीएजी द्वारा किसी प्रकार की सेवाएं एनआईडब्ल्यूई/एमएनआरई को पवन विद्युत संस्थापनाओं के संबंध में प्रदान की जा सकती हैं। नौवहन महानिदेशालय द्वारा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के परामर्श से अपतटीय पवन ऊर्जा फॉर्म को "प्रतिबंधित क्षेत्र" घोषित करने के संबंध में अधिसूचना जारी की जाएगी।

7.4.7 डिकमीशनिंग

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा प्रस्तावित अपतटीय पवन फार्म के लिए जहां लीज़ प्रदान करने का निर्णय लिया जाता है, उसमें यह शर्त भी शामिल होगी कि विकासकर्ता/स्वामी द्वारा एनआईडब्ल्यूई को कोई अपतटीय निर्माण कार्य आरंभ होने से पहले डिकमीशनिंग एवं स्थल पुनर्स्थापन कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाएगा। यह कार्यक्रम ईआईए का एक भाग होगा और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय से आवश्यक अनापत्तियों को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। समुचित डिकमीशनिंग सुनिश्चित करने के लिए विकासकर्ता द्वारा जमा राशि अथवा वित्तीय गारंटी दी जाएगी।

7.4.8 अनुश्रवण

सचिव, एमएनआरई की अध्यक्षता में गठित अपतटीय पवन ऊर्जा संचालन समिति द्वारा देश में अपतटीय पवन ऊर्जा के संपूर्ण विकास का अनुश्रवण किया जाएगा। नए अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों में विकास, आवंटन और निर्माण कार्यों का अनुश्रवण एनआईडब्ल्यूई द्वारा किया जाएगा। संबंधित तटवर्ती राज्यों की राज्य नामित एजेंसियों द्वारा भी संभार तंत्र तथा ग्रिड अवसंरचना की योजना बनाने के लिए अपनी तटरेखा पर विकास कार्यों का अनुश्रवण किया जा सकता है। संबंधित राज्य सरकारों द्वारा अपने राज्य में अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं तथा उनके विकास के अनुश्रवण के लिए एक समिति गठित की जा सकती है। राज्य सरकारों को प्रभावी अनुश्रवण और संबर्द्धन के लिए इस नीति को अपनी जलवायु परिवर्तन संबंधी राज्य कार्य योजना में शामिल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

7.5 प्रोत्साहन

इस नीति में अपतटीय पवन ऊर्जा के विकास को राजकोषीय प्रोत्साहनों, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) में भागीदारी की अनुमति देकर, सार्वजनिक-निजी भागीदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के माध्यम से सहायता प्रदान की जाएगी।

तटीय पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए उपलब्ध राजकोषीय एवं वित्तीय प्रोत्साहन अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं को भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इसके अलावा सरकार द्वारा उत्पादित विद्युत की लागत को कम करने के लिए अनावंटित पारंपरिक विद्युत की उपलब्धता के अध्यक्षीन अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं से उत्पादित विद्युत को पारंपरिक विद्युत के साथ मिश्रित करने को बढ़ावा दिया जा सकता है जिससे बेहतर स्वीकार्यता उपलब्ध होगी।

7.6 क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा अपतटीय पवन विद्युत विकास को बढ़ावा देने के लिए संभावित निवेशकों सहित स्थानीय पवन टर्बाइन विनिर्माताओं एवं उपकरणों के विनिर्माताओं के बीच जागरूकता का सृजन करने के उद्देश्य से कार्यशालाओं एवं परिषदाओं के आयोजन जैसे संबर्द्धनात्मक कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा।

8. प्रौद्योगिकी

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) की स्थापना एमएनआरई द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानकों (आईईसी, जीएल आदि) के अनुसार संपूर्ण पवन टर्बाइन जेनरेटर प्रणालियों (डब्ल्यूटीजी) का परिक्षण करने और तटीय पवन टर्बाइन मॉडलों की परीक्षण रिपोर्टों का सत्यापन करने हेतु एक स्वायत्त अनुसंधान और विकास संस्थान के रूप में की गई है। एनआईडब्ल्यूई द्वारा इसी प्रकार की सेवाओं को अपतटीय पवन टर्बाइन मॉडलों के लिए उपलब्ध कराया जाएगा/सुगम बनाया जाएगा।

पवन टर्बाइन तथा आधारीक संरचनाएं मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार होंगी। भूगर्भीय स्थितियों से उत्पन्न होने वाले जोखिमों सहित परियोजना के जोखिम परियोजना विकासकर्ता के होंगे।

[फा. सं. 51/58 (सीएबी)/2011-डब्ल्यूई]

वर्षा जोशी, संयुक्त सचिव

अनुलग्नक-क**अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं के सर्वेक्षण एवं अध्ययन और विकास के लिए अपेक्षित अनापत्ति/अनापत्ति प्रमाण पत्र**

राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान द्वारा अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धी बोली प्रक्रिया (आईसीबी) के लिए अधिसूचित करने से पूर्व रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, पर्यावरण और वन मंत्रालय और अंतरिक्ष विभाग से सैद्धांतिक अनापत्ति प्राप्त की जाएगी (चरण-I में अपेक्षित अनापत्तियां)। ब्लॉक के आवंटन के बाद सफल बोलीकर्ता/विकासकर्ता को विभिन्न केंद्रीय एवं राज्य सरकार के मंत्रालयों/विभागों से अनापत्तियां/अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अपेक्षित होगा (चरण-II में अपेक्षित अनापत्तियां)। अपतटीय पवन विद्युत परियोजनाओं के लिए अनापत्ति अथवा अनापत्ति प्रमाण पत्र, जो भी मामला हो, प्रदान करने की प्रक्रिया में शामिल केंद्र सरकार को मंत्रालयों/विभागों और अनापत्ति की प्रकृति का विवरण नीचे दिया गया है।

क्रम सं.	मंत्रालय/विभाग	चरण-I में अपेक्षित अनापत्तियां	चरण-II में अपेक्षित अनापत्तियां (अथवा एनओसी)
1.	पर्यावरण और वन मंत्रालय	सैद्धांतिक अनापत्ति	ईआईए तथा सीआरज़ेड संबंधी अनापत्तियां
2.	रक्षा मंत्रालय	सैद्धांतिक अनापत्ति	रक्षा एवं सुरक्षा संबंधी पहलुओं, सेना, नौसेना, वायुसेना, डीआरडीओ तथा रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले ऐसे अन्य संस्थानों से संबंधित अनापत्तियां
3.	विदेश मंत्रालय	सैद्धांतिक अनापत्ति	भारत के समुद्री क्षेत्रों के अंतर्गत अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास हेतु अनापत्ति
4.	गृह मंत्रालय	सैद्धांतिक अनापत्ति	अपतटीय पवन ऊर्जा ब्लॉकों में विदेशी नागरिकों की तैनाती के संबंध में अनापत्ति।
5.	नागरिक उड्डयन मंत्रालय	इस चरण में कोई अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।	उड्डयन राडारों/एयरोड्रोम के निकट निर्माण कार्य हेतु अनापत्ति। अन्य स्थानों के लिए अनापत्ति/एनओसी आवश्यक नहीं है।
6.	पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय	इस चरण में कोई अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।	तेल एवं गैस ब्लॉकों में अपतटीय पवन विद्युत संस्थापनाओं के लिए अनापत्ति। अपतटीय तेल एवं गैस ब्लॉकों के बाहर किए जाने वाले निर्माण कार्यों के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र।
7.	जहाजरानी मंत्रालय	इस चरण में कोई अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।	बड़े पत्तनों के निकट लगाई जाने वाली परियोजनाओं के लिए अनापत्ति। शिपिंग लेन से दूर रहकर प्रचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
8.	अंतरिक्ष विभाग	सैद्धांतिक अनापत्ति	अंतरिक्ष विभाग की संस्थापनाओं के संबंध में तथा अंतरिक्ष विभाग की संस्थापनाओं से रखी जाने वाली न्यूनतम सुरक्षा दूरी हेतु सुरक्षा की दृष्टि से अनापत्ति।
9.	दूरसंचार विभाग	इस चरण में कोई अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।	उप-समुद्री संचार केबल क्षेत्रों से बाहर प्रचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र।
10.	खान मंत्रालय	इस चरण में कोई अनापत्ति अपेक्षित नहीं है।	खनन क्षेत्रों के बाहर प्रचालन के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र।

एनआईडब्ल्यूई द्वारा चरण-II की अनापत्तियों की प्राप्ति को सरल बनाया जाएगा और अनापत्तियां/एनओसी जारी करने के लिए संबंधित मंत्रालयों/विभागों के साथ समन्वय किया जाएगा। निष्क्रमण अवसंरचना, संभार तंत्र आदि का सृजन करने के लिए राज्य सरकार के निकायों से अतिरिक्त अनापत्तियां/अनुमोदन की आवश्यकता हो सकती है। विकासकर्ता ऐसी अनापत्तियों/अनुमोदनों के लिए संबंधित राज्य सरकार के निकायों से सीधे संपर्क कर सकते हैं।

अनुमोदनों, अनापत्तियों और अनापत्ति प्रमाण पत्रों के लिए एमएनआरई द्वारा विकासकर्ताओं की आसानी के लिए अलग से एक स्पष्ट समयसीमा जारी की जाएगी।

महत्वपूर्ण पारिभाषिक शब्दावली

- ❖ **विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड):** यह एक अवधारणा है जिसे समुद्री कानून पर संयुक्त राष्ट्र वार्ता (यूएनसीएलओएस) के अंतर्गत अंगीकृत किया गया, जिसके द्वारा भारत को महाद्वीपीय कगार क्षेत्र के समीपस्थ क्षेत्र में, तट से 200 समुद्री (नॉटिकल) मील तक की दूरी मानते हुए, समुद्री संसाधनों की खोज और दोहन करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है।
- ❖ **नोडल मंत्रालय:** नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई) देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में अपतटीय पवन विद्युत के विकास के लिए नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करेगा।
- ❖ **नोडल एजेंसी:** राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान (एनआईडब्ल्यूई) देश के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र (ईईजेड) में अपतटीय पवन विद्युत की खोज तथा दोहन करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करेगा और प्रस्ताव आमंत्रित करने, विकासकर्ताओं के साथ संविदा निष्पादित करने, और लीज़ शुल्क का एकत्रण करने जैसे कार्यकलापों का संचालन करेगा।
- ❖ **परियोजना विकासकर्ता:** सफल बोलीकर्ता, जो देश के ईईजेड में अपतटीय पवन विद्युत परियोजना के विकास के लिए एनआईडब्ल्यूई के साथ समझौता करेगा और वितरण यूटीलिटी/मोनोनीत एजेंसी/निजी इकाई के साथ हस्ताक्षरित विद्युत खरीद समझौते (पीपीए) के अनुसार किसी वितरण यूटीलिटी/मोनोनीत एजेंसी/निजी इकाई को विद्युत का विक्रय करेगा।
- ❖ **राज्य पारेषण यूटीलिटी:** विद्युत अधिनियम 2003 के प्रावधानों के अंतर्गत अंतरा-राज्य पारेषण प्रणाली के माध्यम से विद्युत का पारेषण करने हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित कोई बोर्ड अथवा कोई सरकारी कंपनी।
- ❖ **न्यूनतम कार्य कार्यक्रम:** आवंटित ब्लॉक में अपतटीय पवन विद्युत के विकास हेतु संविदा में निर्धारित अपतटीय पवन विद्युत क्षमता के अनुसार कार्य निष्पादन कार्यक्रम।
- ❖ **लीज़:** लीज़ का अभिप्राय किसी अपतटीय पवन विद्युत परियोजना विकास और प्रचालन लीज़ से है, जैसा कि अपतटीय पवन विद्युत लीज़ नियमावली में स्पष्ट किया जाए और इसमें देश के ईईजेड में किसी अन्य संसाधन की खोज और दोहन करने का अधिकार नहीं होगा।
- ❖ **स्थल पुनर्स्थापन:** पर्यावरण और वन मंत्रालय (एमओईएफ) द्वारा अनुमोदित पर्यावरणिक प्रभाव आकलन के अनुसरण में किसी परियोजना स्थल पर किए गए कार्यकलापों को वापस हटाते हुए उस स्थल को विकसित किए जाने से पूर्व की स्थिति में लाना अथवा अपतटीय पवन विद्युत संबंधी प्रचालनों के समाप्त होने के पश्चात् किसी स्थल को इसके अभिप्रेत उपयोग के लायक बनाना अपेक्षित है और इसमें, जहां उपयुक्त हो, उपकरणों, संरचनाओं एवं मलबों को हटाना, ऊपरी मृदा को बदलना, पुनर्वनस्पतिकरण, ढाल स्थिरीकरण, खुदाई कार्यों को अंदर से भरने अथवा परिस्थितिजन्य अन्य उपयुक्त कार्य शामिल होंगे।

MINISTRY OF NEW AND RENEWABLE ENERGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th October, 2015

G. S. R. 765(E).—In exercise of the powers conferred by Article 297 of the Constitution read with Transaction of Business Rules and approval of the Cabinet dated 09th September, 2015, the Ministry of New & Renewable Energy hereby notifies the National Offshore Wind Energy Policy with effect from the date of publication of the Policy in the Official Gazette.

NATIONAL OFFSHORE WIND ENERGY POLICY

1. Introduction

Worldwide, wind energy is accepted as one of the most developed, cost-effective and proven renewable energy technologies to meet increasing electricity demands in a sustainable manner. While onshore wind energy technologies have reached a stage of large scale deployment and have become competitive with fossil fuel based electricity generation with supportive policy regimes across the world, exploitation of offshore wind energy is yet to reach a comparable scale. India has achieved significant success in the onshore wind power development with about 24 GW of wind energy capacity already installed and generating power. With introduction of this policy, the Government is attempting to replicate the success of offshore wind power development in the offshore wind power development.

1.1 Global Status

Over 8.7 GW offshore wind capacity has already been installed around the world and approximately an equal capacity is under construction. There are offshore wind farms existing and under development in United Kingdom (4494 MW), Denmark (1271 MW), Germany (1049 MW), Belgium (712 MW), China (670 MW), The Netherlands (247 MW) and Sweden (212 MW).

1.2 Developments in India

In India, preliminary assessments along the coastline have indicated prospects of development of offshore wind power. Wind resource data collected for the coastline of Rameshwaram and Kanyakumari in Tamil Nadu and Gujarat Coast shows reasonable potential. A preliminary assessment suggests potential to establish around 1 GW capacity wind farm each along the coastline of Rameshwaram and Kanyakumari in Tamil Nadu.

1.3 Maritime Zones

There are two main maritime areas in which structures such as offshore wind farms can be built:

- Indian territorial waters, which generally extend up to 12 nautical miles (nm) from the baseline; and
- Exclusive Economic Zone (EEZ), beyond the 12 nm limit and up to 200 nm, where under international law, India has right construct structures such as wind farm installations.

1.4 Challenges

The significant challenges that exist in offshore wind power deployment relates to resource characterization, subsea cabling, turbine foundation, installation of turbines including logistics, grid interconnection and operation, development of transmission infrastructure and coastal security during construction and operation period. Adding large capacities of offshore wind generation to the power system would also require reliable integration to the national grid.

2. Vision of the Government

Electricity generation from renewable sources of energy is an important element in the Government's National Action Plan on Climate Change (NAPCC) announced in the year 2008. With introduction of this plan, the Government of India is committed to provide a conducive environment for harnessing offshore wind energy in India. In consonance with the mandate and responsibility, the Government envisions to carry forward, in a systematic manner, the development of offshore wind energy in the country, to overcome the existing barriers and to create technological and implementation capabilities within the country.

3. Title and Enforcement

This policy will be known as the "National Offshore Wind Energy Policy – 2015". The policy will remain in force in its entirety unless withdrawn or suspended in whole or part by the Government of India. The Government of India will undertake a review of this Policy as and when required in view of any technological breakthrough or any changes taking place in any related policy or goals.

4. Objectives

The Government of India in its interest to develop Offshore Wind Farm has decided to have a Policy that will enable optimum exploitation of Offshore Wind energy in the best interest of the nation and to achieve the following objectives.

- To Explore and Promote Deployment of Offshore Wind Farms in the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the country, including those under Public Private Partnership.
- To Promote Investment in Energy Infrastructure.
- To Promote Spatial Planning and Management of Maritime Renewable Energy Resources in the Exclusive Economic Zone of the country through suitable incentives.
- To Achieve Energy Security.
- To Reduce Carbon Emissions.

- To Encourage Indigenization of the Offshore Wind Energy Technology.
- To Promote Research and Development in the Offshore Wind Energy Sector.
- To Create Skilled Manpower and Employment in the offshore wind energy sector.
- To facilitate development of Project EPC and Operation & Maintenance with regard to offshore wind industry.
- To develop coastal infrastructure and supply chain to support heavy construction & fabrication work and the Operation & Maintenance activities.

5. Geographical Coverage and Scope

This policy document is the primary policy decision-making document for offshore wind energy development, including, setting up of offshore wind power projects and research & development activities, in waters, in or adjacent to the country up to the seaward distance of 200 nautical miles (EEZ of the country) from the base line. The Research & Development activities would also be carried out up to 200 nautical miles from the base line.

6. Essential Elements of Development of Offshore Wind Energy

The essential components of a policy for development of offshore wind farm will contain:

- Preliminary Resource Assessment and preliminary oceanographic & bathymetric studies for demarcation of blocks.
- Environment Impact Assessment (EIA) study of proposed Offshore Wind Farms regarding aquatic life, fishing etc., studies relating to navigation, undersea mining and related exploration/exploitation activities and other users of the sea.
- Detailed studies & surveys - These studies will determine the construction costs for special foundations, special ships for both operation and maintenance requirements.
- Sea Bed Lease Arrangement.
- Statutory Clearances and NOCs.
- Grid Connectivity and Evacuation of Power (both offshore and onshore)
- Technology
- Incentives
- Security of offshore installations and confidentiality of the data collected during studies and surveys.
- Financing and Insurance.

7. Policy

7.1 Nodal Ministry

Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) will be the Nodal Ministry for development of Offshore Wind Energy in India and act as one of the government entities, among others, for Development and Use of Maritime Space within the Exclusive Economic Zone (EEZ) of the country. As the nodal ministry, role of MNRE will include but not limited to the following.

- (i) Overall monitoring of the offshore wind development in the country.
- (ii) Co-ordination with other Ministries/Departments.
- (iii) Issuing guidelines/directives for development of offshore wind energy.
- (iv) Oversee working and to provide necessary support to the Nodal Agency i.e. NIWE for smooth functioning.
- (v) Development of International Cooperation.
- (vi) Coordination towards tariff setting and regulatory issues.

7.2. National Institute of Wind Energy (NIWE) – Nodal Agency

National Institute of Wind Energy (NIWE) will act as the Nodal Agency for the development of offshore wind energy in the country. NIWE will be strengthened to carry out the following activities for offshore wind power development in the country.

- (i) Call for proposals for development of offshore wind power projects in the specified blocks under International Competitive Bidding (ICB).
- (ii) Entering into contract with the project developers for development of offshore wind power project within the EEZ of the country.
- (iii) Collect lease from developer/owners as per specified guidelines.
- (iv) Carry out and also coordinate resource assessment and surveys in the EEZ of the country.
- (v) Demarcation of offshore wind energy blocks.
- (vi) Compliance of Ministry of Defence (MoD) guidelines.
- (vii) Facilitation to project developers in getting clearances from concerned Ministries/Departments.
- (viii) Coordinate and monitor technical activities of the on-going projects.
- (ix) Promoting indigenous research for technology development.
- (x) Technical & financial evaluation and review of development.
- (xi) Creation and maintenance of offshore wind energy database and archive system.
- (xii) Upgrade information database in the assessed areas.
- (xiii) Capacity building in the offshore wind energy sector.

7.2.1 Facilitation in Clearances

NIWE will accept applications for Clearances/NOCs from the project developers and coordinate with concerned Ministries/Departments for the Clearances/NOCs. However, NIWE will only act as a facilitator for getting Clearances/NOCs and applications will be dealt in entirety by the concerned Ministry/Department.

7.2.2 Administrative Divisions & Staffing

NIWE will have personnel of technical expertise in wind energy/offshore operations. The details of the experts and their qualifications will be decided, depending on the quantum of work, by NIWE.

NIWE may also draw experts from Central Government Departments and Public Sector Enterprises working in energy & power sector on deputation. Further staffing requirement may be met through appointments on short term contracts.

7.3. Other Implementing and Monitoring Agencies

7.3.1 Offshore Wind Energy Steering Committee (OWESC)

Offshore Wind Energy Steering Committee (OWESC) under the chairmanship of Secretary, MNRE will steer the offshore wind energy development in the country by providing policy guidance and will oversee the execution and effective implementation of specific offshore wind energy activities.

7.3.2 Ministry of Shipping /State Maritime Board /State Government

The Ministry of Shipping in case of major ports and State Government or State Maritime Board where constituted in case of minor ports may provide access to port or port like facilities with sufficient infrastructural facilities to enable heavy construction / fabrication work / O&M activities at seashore from where it will be moved offshore to the wind farm site. A specific charge may be made payable to the respective Central Government or State Government Agencies for enlisting their services.

7.3.3 Central and State Transmission Utility

Central Transmission Utility (CTU) and/or State Transmission Utility (STU) will undertake onshore evacuation and grid connectivity. CTU/STU will also carry out the testing and certification of the evacuation infrastructure. Concerned STU/State Government may facilitate allocation of land on shore

near to wind farm site to enable establishment of substations to evacuate power generated from Offshore Wind Farms.

7.4 Developmental Model

7.4.1 Studies & Surveys

Preliminary wind resource assessment, oceanography & bathymetric surveys etc. will be carried out by NIWE for demarcation of offshore wind energy blocks. Services of expert agencies within the Government could also be utilized for collection of seabed and resource data. In addition, interested private players having proven expertise in offshore studies and surveys may also be granted permissions on case to case basis, to collect data and have shared ownership on it. This data could be shared with other Ministries. Detailed guidelines would be issued by NIWE, once the policy is approved. However, NIWE would reserve rights to refuse participation to an entity on grounds of national security without giving specific details.

The process of studies and surveys are critical from naval operations point of view. Therefore, similar to the data collection policy being followed for oil & gas exploration and production, private players would need to submit the detailed information as per the formats & guidelines for clearance from the Ministry of Defence. Procedure for naval security clearance for vessels involved in construction/support activities of wind power installations will be in accordance with the extant Government of India regulations for research, survey, exploration and exploitation of resources in the coastal and Maritime Zones of India.

The surveyor or the project developer, as the case may be, will have to take prior permission/clearance from the Ministry of Defence before commencing any activity in the EEZ. Such permission/clearance shall be routed through NIWE. NIWE will have a royalty-free license for the use of the survey data and maps (which will be an intellectual property of the surveyor/developer) for the purposes of the Government.

The surveyor or project developer will submit an undertaking to NIWE to the effect that no data/information collected through surveys and studies under permission granted by NIWE (after getting necessary clearances from Ministry of Defence) will be concealed or suppressed from NIWE.

7.4.2 Request for Clearances/No Objection Certificates

The clearances/NOCs required before commencing installation in the sea (survey or Wind Turbine Generator) are related to Ministry of Defence, Ministry of Shipping/State Maritime Board/State Government, Ministry of Petroleum & Natural Gas, Ministry of Environment & Forests and some other agencies. A list of related Ministries and Departments where a clearance or an NOC will be required is given at **Annexure A**.

Work related to studies & surveys or construction in offshore cannot be commenced until the "Clearance" wherever required, is granted by concerned Ministries/Departments. However, in cases where a No Objection Certificate is required, the same will be deemed as granted upon expiry of the stipulated period.

Besides the Clearances/NOCs, the project developer, while planning the project will take into account the impact of the project on the livelihood of local fishing communities and make all efforts to stay out of the fishing grounds in and around the development site. In extreme cases, where fishing grounds/ fishing colonies are to be relocated, the developer will provide adequate compensation to the aggrieved communities in line with the Central/ State Government policies on the subject.

7.4.3 Leasing of the Seabed and Allocation of Blocks

The offer of blocks will be made through an open International Competitive Bidding (ICB) process. The bidder can be a company, consortium or a Joint Venture. NIWE will enter into contract with the successful bidder i.e. the developer of offshore wind energy power project and collect lease fee from the developer during survey, construction and operation phases. NIWE would reserve rights to refuse participation of an entity in the International Competitive Bidding (ICB) on grounds of national security without giving specific details.

The lease will be limited to exploration and exploitation of wind energy in the allocated block(s). The broad parameters of the contract will include, time frame for completion of the installation & commissioning of the wind farm, period of contract, committed Minimum Work Programme (MWP) in terms of project capacity in the allocated block, monitoring & inspection by MNRE/NIWE and decommissioning plan. The lease and area will stand automatically relinquished, if the contractor is unable to start commercial production of wind electricity within a specific time period from the date of signing the contract.

Existing lease holders of seabed for other purposes such as oil & gas exploration and exploitation, seabed mining etc., interested in installation of offshore wind farm on their existing lease must route the proposal through NIWE.

7.4.4 Power Evacuation

A designated agency or distribution utility or a private company will enter into Power Purchase Agreement (PPA) with offshore wind power generation project developers and will directly purchase the offshore wind power as per the norms and guidelines fixed by the appropriate Commission as per the Electricity Act 2003 as amended from time to time.

Central Transmission Utility (CTU) /State Transmission Utility (STU) will provide necessary onshore infrastructure for evacuating the power generated by Offshore Wind farms. The Central Government may provide support to State Governments in creation of evacuation infrastructure for offshore wind power projects.

Bundling schemes with power from other sources and Centralized Procurement may be introduced as and when required for promotion of offshore wind power development and making it cost effective.

7.4.5 Final Approval for Commissioning of Offshore Wind farm

The certificate for commencement of operation of the Wind farm shall be issued by NIWE. This will enable verification of all statutory and regulatory guidelines by the NIWE before commissioning.

7.4.6 Security of Offshore Wind farm

The security of the offshore wind energy installations will be responsibility of the developer/operator who must carry out a vulnerability assessment. The developer is also required to provide evidence of comprehensive insurance coverage of the installations. Headquarter, Offshore Defence Advisory Group (HQODAG) functions as the nodal agency for matters relating to defence of offshore installations within the maritime zones of the country. HQODAG advises Ministries of Defence, Petroleum & Natural Gas, Shipping and Civil Aviation on all planning and policy aspects of offshore security and defence covering territorial waters, the continental shelf, the Exclusive Economic Zone and other Maritime Zones of the country. Similar services may be provided by HQODAG to NIWE/MNRE with respect of defence/security of offshore wind power installations. Directorate General of Shipping, in consultation with the Ministry of New & Renewable Energy, will issue a notification declaring offshore wind farm as a "Restricted Area".

7.4.7 Decommissioning

Where NIWE decides to grant lease for a proposed offshore wind farm, it will also include a condition requiring the developer/owner to submit a decommissioning and site restoration programme to NIWE before any offshore construction works begin. The programme shall be a part of EIA, and necessary clearances will be required from the Ministry of Environment & Forests (MoEF). A deposit or a financial guarantee will be submitted by the developer to ensure proper decommissioning.

7.4.8 Monitoring

Offshore Wind Energy Steering Committee (OWESC) headed by Secretary, MNRE will monitor the overall development of the offshore wind energy in the country. Development, allocation and construction in new offshore wind energy blocks will be monitored by NIWE. State designated agencies of the concerned coastal State may also monitor the development along their coastline to plan for logistical and grid infrastructure. The respective State Governments may form a committee for monitoring of offshore wind power projects and development in their State. State Governments are encouraged to include this policy in their State Action Plan on Climate Change for effective monitoring and promotion.

7.5 Incentives

The policy may support the development of offshore wind energy through fiscal incentives, allowing Foreign Direct Investment (FDI) participation, Public Private Partnership, and international collaborations.

Fiscal and financial incentives available to onshore wind power projects may also be made available to offshore wind power projects. Besides, Government may promote bundling of power generated from offshore wind power projects with conventional power subject to availability of unallocated conventional power to bring down the cost of power generated resulting in better acceptability.

7.6 Capacity Building

NIWE will undertake promotional activities such as organizing workshops & symposiums to bring awareness in the local wind turbine manufacturers and components manufacturers including potential investors to boost offshore wind power development.

8. Technology

National Institute of Wind Energy (NIWE) has been established as an autonomous R&D institution by MNRE in testing of complete Wind Turbine Generator systems (WTGs) according to international standards (IEC, GL etc.) and verification of test reports for Onshore Wind Turbine Models. Similar services will be provided/facilitated by NIWE for Offshore Wind Turbine Models.

The wind turbines and foundation structures will be as per recognized international standards. Project risks including those arising out of geological conditions will be that of the project developer.

[F. No. 51/58(Cab)/2011-WE]

VARSHA JOSHI, Jt. Secy.

Annexure A

Clearance/No Objection Certificate (NOC) for Surveys & Studies and Development of Offshore Wind Power Projects

NIWE will take in-principle clearance from the Ministries of Defence, Home, External Affairs, Environment & Forests and Department of Space before notifying the offshore wind energy blocks for International Competitive Bidding (ICB) (Stage-I Clearances). On allocation of block, the successful bidder/developer will have to take Clearances/NOCs from various Central and State Government Ministries/Departments (Stage-II Clearances). The Central Government Ministries/Departments which will be involved in the process of granting clearance or No Objection Certificate, as the case may be, for Offshore Wind Power Projects with the nature of clearance are listed below.

S. No.	Ministry/Department	Stage-I Clearances	Stage-II Clearances (or NOCs)
1.	Ministry of Environment & Forests	In-principle Clearance	EIA and CRZ clearance
2.	Ministry of Defence	In-principle Clearance	Clearance related to defence & security aspects, related to Army, Navy, Air force, DRDO and other such institutions under MoD.
3.	Ministry of External Affairs	In-principle Clearance	Clearance for development of offshore wind energy projects within the maritime zones of India.
4.	Ministry of Home Affairs	In-principle Clearance	Clearance regarding deployment of foreign nationals in offshore wind energy blocks.
5.	Ministry of Civil Aviation	No clearance needed at this stage.	Clearance for construction near aviation radars/aerodromes. No clearance/NOC required for all other locations.
6.	Ministry of Petroleum & Natural Gas	No clearance needed at this stage.	Clearance for offshore wind power installations proposed in Oil & Gas Blocks. No Objection Certificate for construction outside the offshore Oil & Gas Blocks.
7.	Ministry of Shipping	No clearance needed at this stage.	Clearance for projects near Major Ports. No Objection Certificate to operate away from shipping lanes.
8.	Department of Space	In-principle Clearance	Clearance from security angle with regard to Dept. of Space installations and for minimum safety distance to be maintained from the Dept. of Space installations.
9.	Department of Telecommunication	No clearance needed at this stage.	No Objection Certificate to operate outside subsea communication cable zones.
10.	Ministry of Mines	No clearance needed at this stage.	No Objection Certificate to operate outside mining zones.

NIWE will facilitate the Stage-II Clearance and coordinate with concerned Ministries/Department for grant of Clearances/NOCs. Additional clearances/approvals may be required from State Government bodies for creating evacuation infrastructure, logistics etc. Developer may directly apply for such clearances/approvals to the concerned State Government bodies.

A clear time schedule for approvals, clearances and NOCs will be issued by MNRE separately to facilitate developers.

Glossary of Important Terms

- ❖ **Exclusive Economic Zone (EEZ):** It is a concept adopted under United Nations Conference on the Law of the Sea (UNCLOS), whereby India has jurisdiction over the exploration and exploitation of marine resources in its adjacent section of the continental shelf, taken to be a band extending 200 nautical miles from the shore.
- ❖ **Nodal Ministry:** Ministry of New & Renewable Energy (MNRE) will act as Nodal Ministry for development of offshore wind power in the EEZ of the country.
- ❖ **Nodal Agency:** National Institute of Wind Energy (NIWE) will act as the Nodal Agency for exploration and exploitation of offshore wind power in the EEZ of the country and carry activities such as call for proposal, entering into contract with developer and collection of lease fee.
- ❖ **Project Developer:** The successful bidder who will enter into contract with NIWE for development of offshore wind power project in the EEZ of the country and sell power to a distribution utility/designated agency/private entity as per the Power Purchase Agreement (PPA) signed with the distribution utility/designated agency/private entity.
- ❖ **State Transmission Utility:** A Board or a Government company notified by the State Government to undertake transmission of electricity through intra-State transmission system under the provisions of Electricity Act 2003.
- ❖ **Minimum Work Programme:** The work programme in terms of offshore wind power capacity specified in the Contract for development of offshore wind power in the allocated block.
- ❖ **Lease:** Lease means an offshore wind power project development and operation lease as may be elaborated in the offshore wind power lease rules and shall exclude right for exploration and exploitation of any other resource in the EEZ of the country.
- ❖ **Site Restoration:** All activities required to return a site to its predevelopment state pursuant to the Environmental Impact Assessment approved by the Ministry of Environment & Forests (MoEF) or to render a site compatible with its intended after-use after cessation of offshore wind power related operations in relation thereto and shall include, where appropriate, removal of equipment, structures and debris, replacement of top soil, re-vegetation, slope stabilisation, in-filling of excavations or any other appropriate actions in the circumstances.